स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट सं0–204 दिनांकः 22–08–2020

एसटीएफ, उ0प्र0 ने जनपद लखनऊ व बाराबंकी में चिप व रिमोट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) में टैम्परिंग (Tampering) कर घटतौली करने वाले गैंग का किया पर्दाफाश।

दिनॉकः 21/22–08–2020 की रात्रि में एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद जनपद लखनऊ व बाराबंकी में चिप व रिमोट के माध्यम से इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) **में टैम्परिंग** (Tampring) **से घटतौली करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 05 अभियुक्तों को मय उपकरण गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।**

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1. हरमीत सिंह उर्फ प्रीत पुत्र हरदेव सिंह नि0 गोविन्दपुर, बिलासपुर, रामपुर। हाल पता कनक सिटी राजाजीपुरम इन्दिरानगर, लखनऊ।
2. रामकिशन पुत्र लल्लु प्रसाद नि0 लीला खेडा, हसनगंज, उन्नाव।
3. राम विलास साहू पुत्र स्व0 छेदी खेडा, नि0 अमवामर्तुजापुर, थाना–नगराम, लखनऊ।
4. लाल बहादुर पुत्र चेतराम नि0 नि0 अमवामर्तुजापुर, थाना–नगराम, लखनऊ।
5. दिनेश उपाध्याय उर्फ दीनानाथ उपाध्याय, नि0 मकान नं0 355/356 जोशीटोला, विराहना थाना नाका जनपद लखनऊ।

<u>बरामदगीः</u>

1. इलेक्ट्रानिक्स भारतोलक मशीन
2. 02 अदद कूटरचित डिवाइस।
3. 03 अदद रिमोट।
4. 29 अदद सरकारी मोहर लगी एल्यूमिनियम प्लेट।
5. 04 अदद ट्रान्सफार्मर।
6. 02 अदद बैट्री।
7. 05 अदद कीपैड।
8. 01 अदद मदरबोर्ड।
9. 02 अदद बिल बुक।
10. रू0 21,650/– नगद।

विगत कुछ दिनो से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रानिक तराजू (Electronic Weighing Machine) में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर उसे रिमोट से संचालित कर घटतौली करना तथा साथ ही बड़े स्तर पर ऐसी इलेक्ट्रानिक तराजू प्रयोग किया जाना जिनमें मशीन के अन्दर ही डबल सेटिंग की क्षमता (Capability) होती है। ऐसी मशीनों में एक गोपनीय बटन (Key) को दबाने से अपने इच्छा अनुसार सही तौल अथवा घटतौली हेतु सेट किया जा सकता है। इस प्रकार से अवैध धन्धा करने व भारी अवैध लाभ अर्जित करने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में श्री अमिताभ यश, पुलिस महानिरीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 व श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ ने एस0टी0एफ0 के सभी अधिकारियों को अभिसूचना संकलित करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के नेतृत्व में टीम गठित कर इस विषय में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभिसूचना संकलन के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि बड़े स्तर पर संगठित गिरोह बनाकर इलेक्ट्रॉनिक तराजू में एक ऐसी चिप लगा रहे हैं, जिससे किसी वस्तु के वजन को उसके

वास्तविक वजन से कम अथवा ज्यादा अपनी इच्छा अनुसार मशीन के डिस्प्ले पर प्रदर्शित किया जा सकता है। इस अभिसूचना को और अधिक विकसित कर कार्यवाही करने के लिए मुख्य आरक्षी राजेश मौर्या द्वारा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक कार्य करते हुए एक ऐसे गिरोहों को चिन्हित किया गया, जो ऐसी इलेक्ट्रानिक तराजू बेचने, चिप व रिमोट लगाने आदि का कार्य करते है। टीम ने जमीनी स्तर पर प्राप्त सूचनाओं को विकसित करते हुए इन संदिग्ध गिरोहों के आवागमन, बैठने के ठिकाने तथा इनके सम्पर्की जहॉ पर इन लोगों द्वारा इलेक्ट्रानिक मशीनों (इलेक्ट्रानिक तराजू) में चिप लगाकर ऐसा कार्य किया जाता है का पूरा विवरण इकट्ठा किया। पुलिस उपाधीक्षक श्री अमित नागर ने जमीनी सूचना का सत्यापन किया और आगे की कार्यवाही की योजना तैयार की। जिसमें मु0आ0 अंजनी यादव को सूचना मिली कि उपरोक्त में से एक गिरोह दिनांक 21.08.2020 को इसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक तराजूओं को बेचने/पुरानी लगी हुई मशीनों की मरम्मत आदि करने थाना नगराम क्षेत्र लखनऊ व थाना लोनीकटरा क्षेत्र, बाराबंकी में पहुचेगा जहां उनको ऐसी चिपों के साथ रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है।

उपरोक्त सूचना पर श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ व अपर नगर मजिस्ट्रेट–06, लखनऊ निरीक्षक ज्ञानेन्द्र राय, उ0नि0 विनोद कुमार सिंह, उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह की एक टीम को साथ लेकर मुखबिर के बताये हुए सूचना पर थाना नगराम क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया गया तथा स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम अमवामुर्तजापुर में लालबहादुर के गल्ले की दूकान पर पहुचे जहॉ चार व्यक्ति इलेक्ट्रिानिक मशीन, चिप रिमोट व इन्हे लगाने के अन्य उपकरण के साथ मौजूद मिले। इन मशीनों को चलवाकर देखा गया तो पाया गया कि यह घटतौली करने हेतु चिप इनके अन्दर फिट है तथा गोपनीय रूप से रिमोट द्वारा संचालित हो रही है जिस पर सभी को समस्त उपरकण सहित गिरफ्तार कर थाना नगराम, जनपद लखनऊ पर आवश्यक विविध कार्यवाही हेतु ले जाया गया, जहॉ पर मु0अ0सं0 136/2020 धारा 420, 467, 468, 471,475, 476 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

इसी प्रकार उ0नि0 शिवनेत्र सिंह व उ0नि0 मनोज सिंह की एक टीम जनपद बाराबंकी के लिए रवाना की गयी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट व स्थानीय पुलिस को साथ लेकर मुखबिर के बताये अनुसार ग्राम गौरवा उस्मानपुर में बैजनाथ किसान इन्टर कालेज के पास दिनेश उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति मिला जिसकी तलाशी पर जिसके पास से इलेक्ट्रानिक तराजू में लगने वाली चिप, रिमोट लगाने सम्बन्धित औजार आदि मिले तथा पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह घटतौली हेतु मशीनों की विक्री मरम्मत एवं ऐसी चिप व रिमोट का काम करता है तथा उसके द्वारा उस क्षेत्र में कई मशीने लगायी गयी है। उसकी निशानदेही पर मो0 हसन व मो0 लल्लन की दूकान पर इलेक्ट्रानिक तराजुओं का निरीक्षण किया गया, जिसमें घटतौली करने हेतु चिप व रिमोट से संचालित होना पाया गया, जिस पर इन्हे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही हेतु थाना लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी जे जाया गया, जहॉ पर मु0अ0सं0 213/2020 धारा 420, 467, 468, 471,475, 476 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस धन्धे में जुड़े है क्योकि इस प्रकार घटतौली करने वाली इलेक्ट्रानिक तराजू की मांग अत्यधिक है। इन इलेक्ट्रानिक तराजूओं की प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड में ही इस प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है कि वह कैलिब्रेशन करने पर 02 अलग–अलग मानक पर सेट हो जाती है। जिसको गोपनीय बटन या रिमोट की सहायता से चुपके से कुछ क्षण में ही एक मानक से दूसरे मानक पर परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी ग्राहक को कोई आशंका होती है और वह लोहे के बाट से अपने समक्ष इलेक्ट्रानिक तराजू का सत्यापन करने को कहता है तो

इलेक्ट्रानिक मशीन मालिक उपरोक्त बताये हुए तरीके से क्षण भर में उसे एक्यूरेट मानक पर सेट कर देते है जिससे वह रखे हुए लोहे के वाट का सही वजन बताती है और जिससे ग्राहक सन्तुष्ट हो जाता है। फिर पल भर में ही वह रिमोट अथवा इलेक्ट्रानिक तराजू में मौजूद गोपनीय बटन से इसको फिर से घटतौली हेतु सेट कर देते है तथा मनचाही घटतौली कर लेते है। ऐसा करने से घटतौली करने वाले को भारी मुनाफा होता है तथा वह मार्केट में अधिक डिस्काउण्ट पर अपनी सामानों की खरीद फरोख्त करता है। जिसके परिणामस्वरूप इमानदार व्यक्ति मार्केट में जनता द्वारा उपेक्षित हो जाते है। क्योंकि उन्हे ऐसा लगता है कि यह लोग मंहगा सामान बेचते है। इस मजबूरी के कारण अधिक से अधिक लोग ऐसी चिप वाली मशीनों को हम जैसे लोगों से खरीद रहें है।

अभियुक्तों के अनुसार बाजारों में ऐसी घटतौली करने वाली इलेक्ट्रानिक तराजूओं की संख्या सही तराजू से अधिक हो गयी है। जोकि धर्मकाटों, लोहा मंडियों गल्ला मंडियों आदि अन्य लगभग सभी जगह लगवायी जा रही है। अभियुक्तों के बताये उपरोक्त तथ्यों का एसटीएफ के द्वारा भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जिसके उपरान्त अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।